वर्ष-4 अंक : 40

सहयोग शुल्क : रु. 1 / अगस्त : 2020

ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट

"માનવસેવા એ જ ઈશ્વરસેવા"

ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट

दिव्यांग सेतु

संपादक :- संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

हर एक दिव्यांगजन अपनी सकारात्मक सोच के जरिए विकलांगता को वरदान में बदल सकता है...

– संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

दिव्यांग वे लोग है, जिनके पास एक ऐसा अंग है या एक से अधिक अंग है जिसमें दिव्यता है ...

– प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी

निरामय हेल्थ पॉलिसी

पात्रता

- केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यह पॉलिसी सेरेबल, पाल्सी, ऑटिज्म, मेन्टल रिटार्डेशन, मल्टिपल डिसेबिलिटीसे असरग्रस्त दिव्यांगो को मिल सकती है।
- ४०% अथवा उससे अधिक दिव्यांगता से असरग्रस्त व्यक्ति को इस पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा।
- रू. २५०/- बी.पी.एल. एवं रु.५००/- ए.पी.एल. दिव्यांगो के लिए सिंगल प्रीमियम

लाभ

रु. १,००,०००/- तक का इंश्योरेंस मिल सकता है।
(निर्धारित किए हुए फंड के अनुसार)

आवेदन-पत्र के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाण-पत्र/दस्तावेज

सिविल सर्फर का दिव्यांगता दर्शाता प्रमाण-पत्र

(ऊपर बताई गई चार बीमारियों में से किसी भी एक का उल्लेख प्रमाण-पत्र में जरुरी है)

वर्तमान की पासपोर्ट साइज़ फोटो
राशनकार्ड की प्रमाणित कोपी
निवास स्थान का प्रमाण (राशनकार्ड अथवा वोटिंग कार्ड)
बी.पी.एल. कार्ड (यदि बी.पी.एल. में आते हैं तो)
बैंक पासबुक की फोटो कोपी (बैंक IFSC कोड के साथ)

दिव्यांग सेतु

मासिक पत्रिका

अगस्त : 2020, पृष्ठ संख्या : 16

वर्ष : 4 अंक : 44

✦ प्रेरणास्त्रोत और संपादक ✦

संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

✦ सह-संपादक ✦

मिहिरभाई शाह

मो. 97241 81999

✦ संपर्क-सूत्र ✦

सेवा समर्पण फाउण्डेशन

ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट (NGO)

Trust Reg. No. : E/20646/Ahmedabad

०१, ग्राउण्ड फ्लोर, आंगी एपार्टमेन्ट,

अन्नपूर्णा पार्टी प्लाट के सामने,

नया विकासगृह रोड, पालडी,

अहमदाबाद - ३८०००९

(मो.) 99749 55365, 9974955125

✦ मुद्रक ✦

प्रिन्ट विज़न प्रा. लि.

आंबावाडी बाज़ार, अहमदाबाद-6

Phone : 079 26405200

संपादकीय

जिसका कोई अंत हो वो किनारा या छोर नहीं हूं मैं,
महज़ एक शाम बनकर ढल जाये वो भोर नहीं हूं मैं ;
अब कोई चुनौतियां कैसी, जब हौंसला है साथ मेरे,
दिव्यांग लगता हूं तन से, मन से कमजोर नहीं हूं मैं ।

प्रकृति का एक नियम है की अगर कुछ छीनता है तो उसके बदले में हमें बहुत कुछ देती भी है । बस जरुरत होती है यह ईश्वर की ताकत पर विश्वास रखने की । हर जीव का जीवन संघर्ष से ही शुरु होता है । जन्म से लेकर अंत तक संघर्ष है लेकिन साहसी व्यक्ति खुद के बुलंद हौंसलो के जरिए इसका सामना मुस्कुराकर करते है । कभी भी खुद को कम मत समजे । आप भी बहुत कुछ करने की काबेलियत रखते हो । अपने जीवन की डिक्सनरी से 'दिव्यांग' शब्द हंमेशा के लिए निकाल दे । क्योंकि आप दिव्यांग नहीं है । आप कुछ खास करने के लिए आए हो...

''अगर आप सकारात्मक सोच को अपनाते हो तो दिव्यांग होना भी वरदान हो सकता है...''

आप सभी को निवेदन है कि इस पत्रिका के बारे में आपके प्रतिभाव हमें भेजिए । हम आपके द्वारा दिया गया सुझाव या विचार पत्रिका में प्रकाशित करेंगे ।

पाठको को यह निवेदन है कि ''दिव्यांग सेतु'' पत्रिका में प्रकाशित करने हेतु, आपके आसपास दिव्यांगजनो के अनुलक्ष में हुए कार्यक्रम या कोई दिव्यांग व्यक्ति की जानकारी की ब्यौरा भी आप हमें भेज सकते है ।

आओ, आप भी हमारे साथ दिव्यांगो के सेवाकार्य में हमारा साथ दे ।

दिव्यांग अधिकार कानून - २०१६

विकलांगता कानून को व्यापक और विस्तृत रूप देने और दिव्यांगजनो को ओर सशक्त बनाने के लिए सरकार ने वर्ष २०१६ में नि:शक्त व्यक्तिओं का अधिकार विधेयक, २०१६ पारीत किया । इस विधेयक ने विकलांग (समान अवसर, अधिकारो का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, २०१६ का स्थान लिया । इस कानून के मुख्य प्रावधान है...

- इसके तहत २१ नि:शक्ताओ को मान्यता दी गई ।
- इस कानून में मानसिक विकलांगता, मनोवैज्ञानिक विकार, कुष्ठ रोगी, मस्तिष्क पक्षाघात (ओटीज्म) को भी विकलांगता की श्रेणी में रखा गया ।
- इसमें पार्कीसन रोग और एसिड अेटेक की वजह से होनेवाली विकलांगता को भी शामिल किया गया है । इसमें ६-८ वर्ष तक सभी विकलांग बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है ।
- इसके तहत विकलांगो को आरक्षण सीमा तीन फीसदी से बढ़ाकर चार फीसदी की गई है और उच्च शिक्षण संस्थानो में पाँच फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है ।
- इस विधेयक में विकलांगो के अधिकारो पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के मानको को भी अपनाया गया है । न्युनतम ४०% विकलांगता के शिकार लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा ।
- इस कानून के तहत यही कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर किसी विकलांगजन का मजाक उडाता (बनाता) है या उसे डराता है या उसका अपमान करता है तो उस व्यक्ति को जेल की सजा हो सकती है ।
- इस कानून में प्रावधान है की देश के हर जिले में विशेष कोर्ट बनाये जायेंगे । जो विकलांगजनो के अधिकारो के हनन के मामलो की सुनवाई करेंगे ।
- इस कानून के निर्धारित समय सीमा के अंदर सरकारी और नीजी सार्वजनिक इमारतों को विकलांगजनो के लिए सुगम्य बनाये जाने का प्रावधान भी किया गया है ।

इस तरह दिव्यांग अधिकार कानून - २०१६ के जरिये भारतने यु.एन.सी.आर.पी.डी. (United Nations Convention on Rights of Person With Disabilities) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए एक बहेतर और सराहनीय कदम उठाया है ।

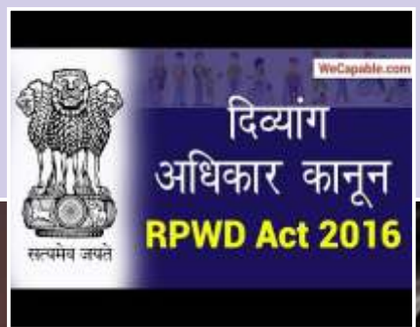

२१ जून अर्थात् "विश्व योग दिन"

२१ जून अर्थात् "विश्व योग दिन" कोरोना की इस वैश्विक महामारी की वजह से पाठशालाए अभी तक बंद है और छात्रो को ओनलाइन ही शैक्षणिक तालिम दी जा रही है। ऐसे वक्त में नवजीवन चेरीटेबल ट्रस्ट संचालित "डॉ. हरिकृष्ण डाह्याभाइ स्वामी स्कुल फोर मेन्टली डिसेबल" द्वारा छात्रो को योग दिन पर ओनलाईन ही विविध तरह के योग करवा के विश्व योग दिन मनाया गया. ईसके साथ ही छात्रो को योग से होनेवाले लाभो के बारे में भी जानकारी दी गई। अध्यापकोने पाठसाला मे रहकर और मनोदिव्यांग छात्रोने घर में रहकर विश्व योग दिन को अलग अंदाज में मनाया।

– आभार : निलेश पंचाल

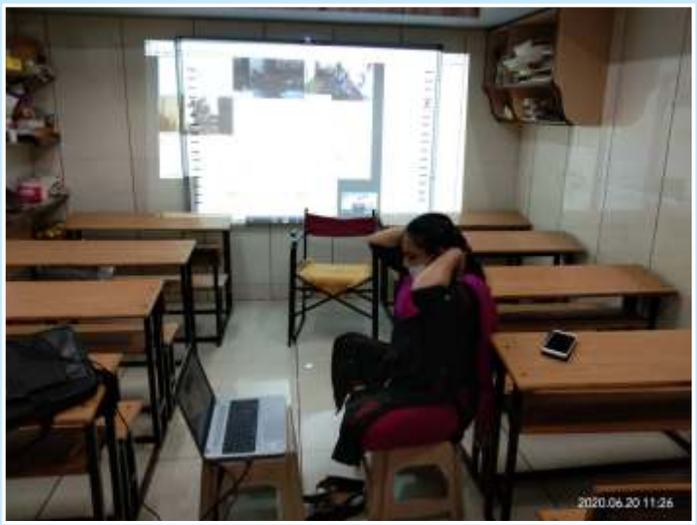

दिव्यांग/विकलांग व्यक्तिओं की शिक्षा/प्रशिक्षण कार्यक्रम

भारत सरकार का प्रयास है की देश में सभी दिव्यांगो को उचित रोजगारपरक शिक्षा/प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें समर्थ बनाया जाए । इसलिए दिव्यांगजनो को नैशनल हैन्डीकेप्ड फाइनैंस एन्ड डेवलपमेन्ट कोर्पोरेशन द्वारा रोजगारपरक शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है । भारत एवं विदेशों में शिक्षा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को डरने के लिए ट्युशन एवं अन्य फीस/मैन्टेनन्स - कोस्ट/बुक्स एवं उपकरण आदि पर होनेवाले खर्च को नैशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैंस एन्ड डेवलपमेन्ट कोर्पोरेशन द्वारा वहन किया जाता है।

→ **दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा/प्रशिक्षण कार्यक्रम की पात्रता क्या है ?**

कोई भी भारतीय नागरिक जिसे ४० प्रतिशत अथवा उससे अधिक विकलांगता हो । विकलांगता सरकार के मानक के अनुसार होना चाहिए ।

→ **क्या सहायता मिलती है ?**

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा/प्रशिक्षण की व्यवस्था सरकारश्री द्वारा नि:शुल्क की जाती है । अगर लाभार्थी उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते है तो उन्हें एजुकेशन लोन मुहैया कराया जाता है । एजुकेशन लोन संयुक्त रुप से विकलांग विद्यार्थी और उसके माता-पिता/अभिभावक के नाम पर होता है।

→ **एजुकेशन लोन की तौर पर कितना धन मिलता है ?**

आवश्यकता आधारित वित्त जो इस तथ्य पर निर्भर करेगा की माता-पिता/विद्यार्थीयों की लोन चुकाने की कितनी क्षमता है । इसके अतिरिक्त एजुकेशन लोन की केटेगरी इस तरह है...

(I) भारत में पढ़ाई के लिए :-

अधिकतम १० लाख रूपये एज्युकेशन लोन के तौर पर मिलता है । यह रकम कोलेज की ट्युशन फीस के

National Handicapped Finance & Development Corporation

लिए होती है। इसके अतिरिक्त अधिकतम ४ लाख रूपये रहन-सहन इत्यादि खर्च के लिए मिलता है।

(ii) विदेशो में पढ़ाई के लिए :-

अधिकतम २० लाख रूपये एजुकेशन लोन के तौर पर मिलता है। यह रकम कोलेज की ट्युशन फीस के लिए होती है। इसके अतिरिक्त १० लाख रूपये रहन-सहन इत्यादि खर्च के लिए मिलता है।

★ **एजुकेशन लोन को वापस कितने समय में करना होता है ?**

एजुकेशन लोन अभ्यार्थी के बेंक खाते में आने के पश्चात ७ वर्ष के भीतर यह लोन चुकाना होता है।

लोन की वापसी नियमानुसार पाठ्यक्रम की समाप्ति की निर्धारीत तिथि से छः माह पश्चात अथवा नौकरी मिलने के पश्चात जो भी पहेले हो, इसके अनुसार करना होता है।

NHFDC

सैंकडों दिव्यांग और नेत्रहीनों की ज़िंदगी रोशन कर रहा है एक डॉक्टर

चुनौतियां किसकी ज़िंदगी में नहीं आती लेकिन जो लोग चुनौतियों को एक मौके के तौर पर लेते है वो समाज के लिए एक मिशाल बन जाते है। डॉ. जितेंद्र अग्रवाल उन्हीं लोगों में से एक है। जो कभी हंसी-खुशी अपने परिवार के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एक बिमारी ने करीब ९० प्रतिशत उनकी आंखों की रोशनी छीन ली उनकी जगह कोई दूसरा होता तो हार मान लेता, लेकिन डॉ. जितेंद्र अग्रवाल ने इस तकलीफ में भी मौका देखा और आज वो सैंकडों नेत्रहीन और दिव्यांग लोगों को रोजगार दिलाने में मदद कर रहे है। वो लोगों को इस काबिल बनाते है की वो आत्मसम्मान के साथ ज़िंदगी जी शके। यही वजह है डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल अपने संगठन "सार्थक एजुकेशन ट्रस्ट" के जरिये सैंकडों दिव्यांगो और नेत्रहीन लोगों को रोजगार दिला कर उनकी ज़िंदगी रोशन कर रहे है।

sarthak EDUCATIONAL TRUST
Empowering the differently abled

I SUPPORT PERSONS with DISABILITY
sarthak

आप पलभर के लिए जरा सोचिये की अगर हमारी आंखों की रोशनी थोडी देर के लिए चली जाये तो कैसा लगेगा? इस बात की कल्पना भी भयावह लगती है लेकिन डॉ. जितेंद्र अग्रवाल वो शख्स है जीन्होंने अपनी आंखों की ९० प्रतिशत रोशनी छीन जाने के बाद भी हताश और निराश होने की जगह ऐसे लोगों की ज़िंदगी में रंग भर रहे है जो नेत्रहीन और दिव्यांग है। दरअसल डॉ. जितेंद्र अग्रवाल को आंखों की रोशनी छीनने के बाद अहसास हुआ की ऐसे लोगों की क्या परेशानियाँ है। इसी का नतीजा है की वो अब तक सैंकडो लोगों को रोजगार दिला चूके है।

हरियाणा के महेन्द्रगढ जिले के छोटे-से गाँव में हाईस्कूल तक पढ़ाई करनेवाले डॉ. जितेंद्र की ज़िंदगी २००४ तक अच्छी तरह से चल रही थी। दिल्ली के विकासनगर में उनका क्लिनीक था लेकिन आंखों की रोशनी छीन जाने के बाद क्लिनीक बंद करना पडा। डॉ. जितेंद्र अग्रवाल ने कहा कि ... "रोशनी जाने के बाद मेरे प्रति समाज, परिवार और दूसरे लोगों का नजरीया बदल गया लेकिन मैंने ऐसे हालात को एक नये मौके के तौर पर लिया। मेरा मानना था की रोशनी जाना भी ईश्वर की कृपा है, क्योंकि इसी से मेरे जीवन का लक्ष्य और मंज़िल दोनों ही बदल गये।"

डॉ. जितेंद्र ने अपनी रोशनी छीन जाने के बाद कई काम किये। उन्हीं में से एक काम था मेडीकल ट्रांसक्रिप्शन। जो उन्होंने २००७ में कम्प्युटर ट्रेनिंग करने के बाद शुरू किया था। ये सारा काम वो U.S. कंपनीयों के लिए करते थे। U.S. में दिसम्बर के दौरान क्रीसमस की छुट्टियों की वजह से उनका काम १५ दिन बंद हो गया। तब उन्होंने तय

किया की वो देशभर में घुमेंगे और दिव्यांग लोगों की परेशानियों को जानेंगे। इस दौरान उन्हें यह अहसास हुआ की अगर इन दिव्यांगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना है तो इनको आत्मनिर्भर बनाना होगा। इसके बाद डॉ. जितेंद्र अग्रवाल ने युवाओं के साथ उन्होंने अपने दिल्ली के विकासपूरी वाले क्लिनीक से ही इसकी शुरूआत की थी और आज उनकी सेवा की निष्ठा और महेनत की कोशिशों से सार्थक एजुकेशन ट्रस्ट १५ राज्यों में करीब २१ से भी अधिक सेन्टर चल रहे है। जहां पर अब तक ८० हज़ार से ज्यादा दिव्यांग युवाओं को रोजगार से जुडी ट्रेनींग दे चूके है।

२०१३ तक वो सिर्फ दिव्यांग युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्रेनींग देते थे, लेकिन २०१३ के बाद जब उनके सेन्टर में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने लगी तो उनको अहसास हुआ की युवाओं को केवल अच्छी ट्रेनींग देकर नौकरी नहीं दिलाई जा सकती। इसके लिए जरुरत है युवाओं में कौशल निखारने की। जिसके बाद डॉ. जितेंद्र अग्रवाल ने टेक महिन्द्रा के साथ मिलकर अलग-अलग शहरों में ट्रेनींग के साथ-साथ स्किल बिल्डींग सेन्टर की शुरूआत की। इस तरह सार्थक एजुकेशन ट्रस्ट देशभर में करीब १५ सेन्टर चला रहा है।

सार्थक एजुकेशन ट्रस्ट ने दिव्यांग युवाओं को ट्रेनींग देने के लिए तीन महिने का एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। इस दौरान शुरूआत के देढ महिने बेसिक कम्प्युटर, कम्युनिकेशन, पर्सनेलिटी डेवलोपमेन्ट और अंग्रेजी सिखाई जाती है। उसके बाद १ महिने की सेक्टोरीयल ट्रेनींग दी जाती है और अंत के १५ दिन ऑन जॉब ट्रेनींग और प्लेसमेन्ट का काम होता है। सेन्टर में उन्हीं दिव्यांगो को ट्रेनींग दी जाती है जो १०वी पास होते है साथ ही उनकी उम्र १८ से ३० साल के बीच होती है। सार्थक एज्युकेशन ट्रस्ट दिल्ली में ओर भी करीब तीन ऐसे सेन्टर चला रहा है जहां पर छोटे बच्चों के ट्रेनींग दी जाती है। जिससे ये बच्चे आगे चलकर नौकरी के लिए तैयार हो साथ ही इनके कौशल में ओर निखार आये। दिव्यांग बच्चों को शुरूआत से ही स्कील ट्रेनींग दी जाती है।

डॉ. जितेंद्र अग्रवाल चाहते है की वो हर एक दिव्यांग बच्चे को आत्मनिर्भर बना

★ NSCL Recruitment 2020-21 राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

NSCL राष्ट्रीय बीज निगम ने **220** सहायक, प्रशिक्षु, प्रबंधन प्रशिक्षु पदो के लिए किया है ।

NSCL Job के इच्छुक सभी उमेदवारों से निवेदन है की नेशनल सीड्स कोर्पोरेशन लिमिटेड के लिए आवेदन करने से पहले सभी आवश्यक जानकारियां पढ़ ले । उसके बाद ही आवेदन करे ।

★ रिक्तियां और पात्रता (Vacancies & Eligibility Criteria)

पदो की संख्या - 220

पदो का नाम	शैक्षणिक योग्यता
१. सहायक (कानूनी) ग्रेड 1-03 २. प्रबंधन प्रशिक्षु - 36 ३. प्रशिक्षु - 112 ४. वरिष्ठ प्रशिक्षु - 59 ५. डिप्लोमा ट्रेनी - 07 ६. प्रशिक्षु मेट - 03	2th / ITI / डिप्लोमा / ग्रेज्युएशन / B.E. / B.Tech / LLB / इंजीनियरिंग डीग्री

★ महत्त्वपूर्ण दिनांक

नौकरी प्रकाशित होने की तिथि - **13-7-2020**

आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि - **Coming soon**

★ **आयु सीमा (Age Limit & Relaxation)**

उमेदवार की आयु **25-30** वर्ष के अंदर होनी चाहिए ।

कृपया आयु में छूट एवं अन्य जानकारीओ के लिए प्रकाशित **NSCL Recruitment 2020-21** राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड भर्ती **notification** देखिये ।

★ **चयन प्रक्रिया (NSCL Selection Process)**

इस **Govt. Job** में कम्प्युटर आधारित टेस्ट **(CBT)**, स्किल टेस्ट डॉक्युमेंट वेरीफीकेशन, में प्रदर्शन के अनुसार कैंडीकेट का सिलेक्शन होगा, चयन प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी के लिए **official NSCL Recruitment 2020/21** राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड भर्ती नोटीफीकेशन जरुर चेक करे ।

★ **आवेदन कैसे करे ? (How to Apply?)**

इच्छुक उमेदवार आवेदन करने के लिए **NSCL** की ओफीश्यल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते है ।

★ **आवेदन फीस (NSCL Application Fees)**

Gen / OBC : 1000/- **SC/ST/PWD : 500/-**

★ **Salary in NSCL (सैलरी कितनी मिलेगी?)**

वेतनमान **19586 - 77000/-** रहेगा ।

★ **Note (खास नोंध) :-**

कृपया अधिक सटीक जानकारी के लिए इस नौकरी के लिए प्रकाशित आधिकारीक सूचना की **NSCL Recruitment 2020/21** राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड भर्ती नोटीफीकेशन जरुर देखे ।

एन एस सी
NSC

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED, NEW DELHI

अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता व्यक्ति दिवस :

आखिर क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस, जाने इसके पीछे का इतिहास :-

दुनियाभर में हर साल ३ दिसम्बर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग व्यक्ति दिवस या अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। साल १९९२ के बाद से विश्व विकलांग दिवस विकलांग व्यक्तियों के प्रति करुणा और विकलांगता के मुद्दे का स्वीकृति को बढावा देने और उन्हें आत्म-सम्मान, अधिकार और विकलांग व्यक्तियों के बहेतर जीवन के लिए समर्थन प्रदान करने के लिए एक उद्देश्य के साथ हर साल मनाया जाता है।

★ विश्व विकलांग दिवस का इतिहास :

वर्ष १९७६ में संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा ''विकलांगजनो के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष'' के रुप में वर्ष १९८१ को घोषित किया गया था । अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर विकलांगजनो के लिए पुनरुद्धार, प्रचार और बराबरी के मौको पर जोर देने के लिए इस योजना को जन्म दिया गया।

★ पार्कींसन रोग क्या है ?

यह एक तंत्रिका तंत्र का तेजी से फैलनेवाला विकार है, जो आपकी गतिविधिओं को प्रभावित करता है । पार्कींसन रोग धीरे-धीरे विकसित होता है । यह रोग कभी-कभी केवल एक हाथ में होनेवाले कंपन के साथ शुरु होता है । लेकिन जब कंपकंपी पार्कींसन रोग का सबसे मुख्य संकेत बन जाती है तो यह विकार अकड़न या धीमी गतिविधिओं का कारण भी बनता है । पार्कींसन को मोटर डिसऑर्डर या मूवमेंट डिसऑर्डर भी कहा जाता है ।

दुनिया में करीब एक करोड से भी ज्यादा लोग इस बिमारी से पीडित है । भारत में हर साल कई मामले सामने आते है । यह रोग किसी भी उम्र में हो सकता है । हालांकी पार्कींसन रोग ६० साल के पार लोगों में अधिक देखने को मिलता है । लेकिन आज कल युवाओं में भी इसके मामले बढ़ रहे है ।

★ ऐसे पहेचाने रोग :-

कुछ खास लक्षण इस रोग की और इशारा करते है । जैसे शरीर में कंपन होना, जकड़ना, शारीरिक क्रियाओं को तेजी से न कर पाना । झूककर चलना, अचानक गिर पडना, बात करने में परेशानी, याददाश्त कमजोर होना और व्यवहार में बदलाव जैसे लक्षण इस बिमारी की शुरुआत में ज्यादातर देखने को मिलते है । पार्कींसन रोग के लक्षण या संकेत अलग-अलग लोगों में अलग-अलग हो सकते है ।

★ पार्कींसन रोग के कारण :-

इस रोग में मस्तिष्क में उपस्थित कुछ तंत्रिका कोशिकाएँ (न्युरॉन्स) धीरे-धीरे खराब हो जाती है या नष्ट हो जाती है । न्युरॉन्स हमारे मस्तिष्क में डोपामाईन नामक रसायन उत्पन्न करते है ।

इन न्युरॉन्स के नष्ट होने के कारण कई लक्षण उत्पन्न होते है ।

डोपामाईन के स्तर में आनेवाली कमी असामान्य मस्तिष्क गतिविधि का कारण बनती है, जिसके परिणाम स्वरुप पार्कींसन रोग के संकेत मिलते है । पार्कींसन रोग का कारण अज्ञात है । लेकिन इसके होने के कई कारक हो सकते है जैसे की ...

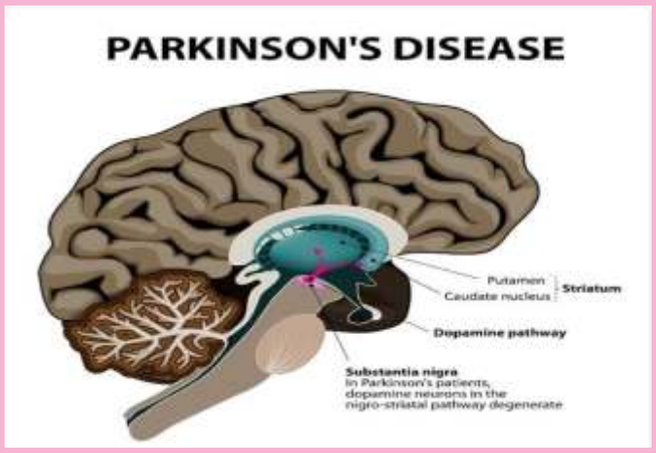

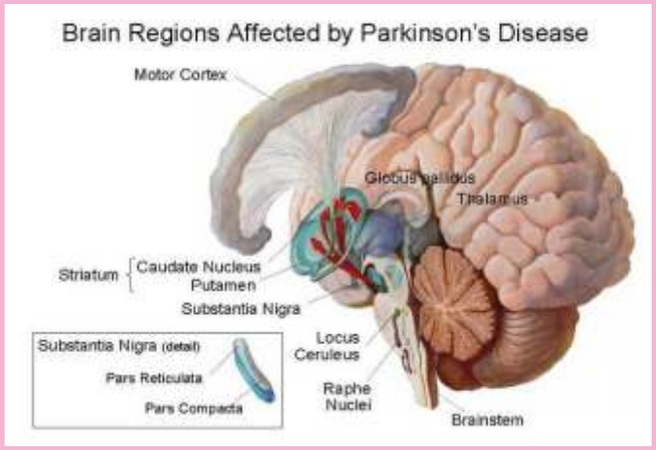

★ आपके जीन (Genes) :-

शोधकर्ताओने विशिष्ट जीनेटीक उत्परीवर्तनो (Genetic Mutations) की पहचान की है, जो पार्कींसन बीमारी का कारण बन सकते है। लेकिन ये पार्कींसन रोग से प्रभावित परिवार के सदस्योवाले दुर्लभ मामलो के अलावा असामान्य होते है।

★ पर्यावरण से संबंधित कारण :-

कुछ विषात्तक पदार्थो या पर्यावरणीय कारको का प्रभाव अंतिम चरण के पार्कींसन रोग के जोखिम को बढ़ा सकता है । लेकिन कुल मिलाकर इनसे पार्कींसन रोग जोखिम कम ही होता है।

इसके अलावा वायरस के संपर्क में आना, दिमाग की नस दबना, सिर पर चोट लगना जैसे अलग-अलग कारण भी इस बिमारी के लिए जिम्मेदार हो सकते है। संक्षेप में, पार्कींसन बीमारी के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान करने के लिए अभी और अधिक शोध किये जाने की आवश्यकता है।

★ पार्कींसन रोग का इलाज :-

हालांकी अभी तक पार्कींसन रोग का कोई सटीक इलाज नहीं मिल पाया है । लेकिन, इसके बावजुद ऐसे बहुत सारे अलग-अलग तरीके है, जिससे इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में

- दवाइयां
- एक्सरसाइझ
- जीवनशैली में बदलाव करना

इत्यादि कारगर उपाय साबित हो सकते है।

नवजीवन चेरीटेबल ट्रस्ट संचालित "डॉ. हरिकृष्ण डाह्याभाई स्वामी स्कुल फोर मेन्टली डिसेबल"

नवजीवन चेरीटेबल ट्रस्ट संचालित "डॉ. हरिकृष्ण डाह्याभाई स्वामी स्कुल फोर मेन्टली डिसेबल", मेमनगर द्वारा जुलाई में १० दिन के लीये मनोदिव्यांग बच्चो के लीये एक ओनलाईन "वेब डान्स वर्कसोप" का आयोजन कीया गया था। जिसमें शहर की अलग-अलग दिव्यांग बच्चो की पाठशालाओ में से करीब ३४ जितने दिव्यांग बच्चोने हिस्सा लिया था। शहर के ख्यातनाम कोरियोग्राफर प्रतिक पंचाल, अवनी ठाकर, रोडी आहिर द्वारा इस वर्कसोप में हिस्सा लेनेवाले सभी बच्चो को अलग-अलग तरह के वेस्टर्न डान्स हररोज एक घंटा सिकाया जाता ता। और इस वर्कशोप के आकिरी दिन सभी बच्चो का डान्स परफोर्मन्स भी ओनलाइन ही रखा गया था। लोकडाउन के इस समये बच्चे आधुनिक टेकनोलोजी का प्रयोग करना शीखे और फुरसद की पलो का सद्पयोग करे ईसी उदेश्य से ईस वर्कशोप का आयोजन कीया गया था।

- निलेश पंचाल (९८२४२६२६०८)
प्रेस नोट (वेब डान्स वर्कशोप आयोजक)

ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट

(N.G.O.)

संचालित

ॐकार दिव्यांग ट्रेनींग डे-केर सेन्टर

मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए नि:शुल्क तालीमी संस्था

शाला में प्रवेश के लिए संपर्क करे

सुमेल ५, हाउस नं.: 48/डी, बिझनेश पार्क,
चामुंडा ब्रीज कोर्नर, असारवा,
अहमदाबाद-380 016
मो. : 99749 55125, 99749 55365

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर